संख्या—2219 / 1—10—2008—12(15) / 2008

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग—10 लखनऊ दिनांक 25 अप्रैल, 2008

विषयः सूखाग्रस्त घोषित जनपद / क्षेत्र में सूखा से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान मद में न्यूनतम धनराशि का वितरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—जी0आई0134 / 1—11—2007—46 / 97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 के कम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सूखाग्रस्त घोषित जनपद / क्षेत्र में सूखा से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को आपदा राहत निधि से कृषि निवेश अनुदान मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त मद में अनुमन्य धनराशि रू0 250 / — को बढ़ाकर रू0 1000 / — कर दिया जाय।

2. शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले व्यय विवरण तथा भौतिक कार्य विवरण में लघु एवं सीमान्त कृषकों के आधार पर कृषि निवेश अनुदान मद में अनुमन्य न्यूनतम धनराशि रू0 250 / — के स्थान पर वितरित की गई न्यूनतम धनराशि रू0 1000 / — के अन्तर की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्याःई—5—875 / दस / 2008, दिनांक 25 अप्रैल, 2008 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समयबद्ध एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

—2—

संख्या-2219 (1)/1-10-2008-12(15)/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/राजस्व अनुभाग-11
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव